UNIVERSITY NEWS 23 SEPTEMBER 2026

AMAR UJALA

वसीयत में एक अक्षर बदला तो एआई पकड़ लेगा

माई सिटी रिपोर्टर

लविवि को मिला पेटेंट, आवाज और वीडियो में भी दर्ज कर सकेंगे इच्छा

लखनऊ। अब वसीयत सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी। उसमें दर्ज इच्छा की सुरक्षा और सत्यापन भी तकनीक के जरिये किया जा सकेगा। यही नहीं, वसीयत में एक अक्षर भी बदला तो एआई इसे पकड़ लेगा।

प्रो. राकेश कुमार

लखनऊ विवि के विधि संकाय के प्रोफेसर राकेश कुमार सिंह, शोधार्थी वरालिका निगम और उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सारांश चतुर्वेदी की टीम ने डिजिटल वसीयत की सुरक्षा और सत्यापन से जुड़ी तकनीक विकसित की है। केंद्र सरकार ने इसे गत 21 सितंबर को भारतीय पेटेंट संख्या 603300 प्रदान किया है। मार्च 2025 में आवेदन किया गया था।

प्रो. सिंह ने बताया कि इस प्रणाली में वसीयतकर्ता लिखित दस्तावेज के साथ आवाज और वीडियो के माध्यम से भी अपनी इच्छा दर्ज कर सकेगा। तकनीक में एआई, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफिक हैश और बायोमेट्रिक सत्यापन का इस्तेमाल किया गया है। वसीयत को अंतिम रूप देने के बाद उसका क्रिप्टोग्राफिक हैश तैयार कर टाइमस्टैंप के साथ ब्लॉकचेन पर दर्ज किया जाएगा। बाद में दस्तावेज में एक अक्षर का भी बदलाव होने पर हैश बदल जाएगा और छेड़छाड़ का पता लगाया जा सकेगा।

पेटेंट की गई प्रणाली में वसीयत को सिर्फ डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के बजाय उसकी तैयारी, सत्यापन, सुरक्षित भंडारण और मृत्यु के बाद निष्पादन तक की प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि के बाद वसीयत से संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

विवि प्रशासन के अनुसार, पेटेंट तकनीकी आविष्कार को मान्यता देता है। हालांकि, डिजिटल वसीयत की कानूनी वैधता अलग विषय है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और संबंधित व्यक्तिगत कानूनों के तहत इसकी स्वीकार्यता का निर्धारण भविष्य में न्यायिक और नीतिगत स्तर पर होना होगा।

DAINIK JAGRAN

आडियो-वीडियो से होगी वसीयत, जालसाजी की आशंका होगी कम

जासं • लखनऊ : वसीयत सामान्यतः कागजों पर तैयार की जाती है। चूंकि वसीयत विधिक रूप से वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती है, ऐसे में कागजी वसीयतों के खोने, नष्ट होने, जालसाजी, अनधिकृत बदलाव या कुजुर्गों पर अनुचित दबाव बनाकर संपत्ति हड़पने के मामले अदालतों में वर्षों तक खिंचते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने एआइ आधारित डिजिटल वसीयत प्रणाली विकसित की है। इससे आडियो-वीडियो से भी वसीयत की जा सकेगी। इसे गत 21 सितंबर को पेटेंट प्रदान किया गया है।

संकाय के प्रो. राकेश कुमार सिंह, शोधार्थी वरालिका निगम और अधिवक्ता सारांश चतुर्वेदी ने 'छेड़छाड़-रोधी, सुरक्षित एवं एआइ-संवर्धित डिजिटल वसीयत प्रणाली' विकसित की है। पेटेंट की गई प्रणाली में ब्लाकचेन, क्रिप्टोग्राफिक हैश (एक एल्गोरिदम, जो डेटा को बिट स्ट्रिंग यानी बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है) और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इसका उद्देश्य अनधिकृत बदलाव और जालसाजी की संभावना को कम करना है। वसीयतकर्ता लिखित प्रारूप के अलावा आवाज और वीडियो के माध्यम से भी अपनी इच्छा दर्ज कर सकेगा। एआइ आधारित सत्यापन तंत्र भाषा की अस्पष्टता, विरोधाभास और अधूरे विवरण की जांच करने के साथ कानूनी प्रविधानों से मिलान करता है। चेहरे और आवाज के विश्लेषण के साथ बायोमेट्रिक तथा व्यवहार संबंधी पैटर्न के जरिये यह भी जांचने की व्यवस्था है कि वसीयतकर्ता अपनी इच्छा से दस्तावेज तैयार कर रहा है या नहीं। अंतिम सहमति के बाद दस्तावेज ब्लाकचेन पर दर्ज किया जाता है। इससे बाद में दस्तावेज में बदलाव होने पर उसका पता लगाया जा सकता है।

I NEXT

ऑडियो-वीडियो से भी होगी वसीयत, जालसाजी की संभावना कम

लखनऊ विश्वविद्यालय ने एआई आधारित डिजिटल वसीयत प्रणाली की विकसित

पूरी तरह हाईटेक

सिस्टम में एआइ आधारित सत्यापन तंत्र भाषा की अस्पष्टता, विरोधाभास और अधूरे विवरण की जांच करने के साथ संबंधित कानूनी प्रविधानों से मिलान करता है। चेहरे और आवाज के विश्लेषण के साथ बायोमेट्रिक तथा व्यवहार संबंधी पैटर्न के जरिये यह भी जांचने की व्यवस्था है कि वसीयतकर्ता अपनी इच्छा से दस्तावेज तैयार कर रहा है या नहीं। अंतिम सहमति के बाद दस्तावेज का क्रिप्टोग्राफिक हैश तैयार कर टाइमस्टैम्प के साथ ब्लाकचेन पर दर्ज किया जाता है। इससे बाद में दस्तावेज में बदलाव होने पर उसका पता लगाया जा सकता है। प्रणाली में वसीयतकर्ता की मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि के बाद निर्धारित प्रोटोकाल के तहत उत्तराधिकारियों को वसीयत से संबंधित निर्देश उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। हालांकि डिजिटल वसीयत की कानूनी स्वीकार्यता भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और संबंधित व्यक्तिगत कानूनों के तहत न्यायालयों व नीति-निर्माताओं के निर्णय का विषय रहेगी।

LUCKNOW (22 Sep): वर्तमान में वसीयत सामान्यतः कागजों पर तैयार की जाती है. चूंकि वसीयत विधिक रूप से वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती है, ऐसे में कागजी वसीयतों के खोने, नष्ट होने, जालसाजी, अनधिकृत बदलाव या कुजुर्गों पर अनुचित दबाव बनाकर संपत्ति हड़पने के मामले अदालतों में वर्षों तक खिंचते हैं. लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने इस समस्या के समाधान के लिए एआइ आधारित डिजिटल वसीयत प्रणाली विकसित की है. इससे आडियो-वीडियो से भी वसीयत की जा सकेगी. इसे गत 21 सितंबर को पेटेंट प्रदान किया गया है.

नहीं हो सकेगी छेड़छाड़

संकाय के प्रो. राकेश कुमार सिंह, शोधार्थी वरालिका निगम और अधिवक्ता सारांश चतुर्वेदी ने 'छेड़छाड़-रोधी, सुरक्षित एवं एआइ-संवर्धित डिजिटल वसीयत प्रणाली' विकसित की है. पेटेंट की गई प्रणाली में ब्लाकचेन, क्रिप्टोग्राफिक हैश (एक गणितीय एल्गोरिदम, जो डेटा को बिट स्ट्रिंग यानी कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है) और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है. इसका उद्देश्य डिजिटल वसीयत को सुरक्षित रखने के साथ उसमें अनधिकृत बदलाव और जालसाजी की संभावना को कम करना है. वसीयतकर्ता लिखित प्रारूप के अलावा आवाज और वीडियो के माध्यम से भी अपनी इच्छा दर्ज कर सकेगा.

DAINIK JAGRAN

16 अक्टूबर तक भरें तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा फार्म

जासं • लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए आनलाइन परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित की है। विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को परीक्षा फार्म समर्थ स्टूडेंट लागिन के माध्यम से भरना होगा।

विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना होगा। उन्हें केवल आनलाइन परीक्षा फार्म भरकर संबंधित संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष व निदेशक कार्यालय में जमा करना होगा। संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को आनलाइन परीक्षा फार्म को परीक्षा शुल्क संग अपने महाविद्यालय में जमा करना होगा।

AMRIT VICHAR

25 तक चुन सकेंगे कोकरिकुलर विषय

लखनऊ, अमृत विचार : लखनऊ विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय ने बीएससी प्रथम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं को कोकरिकुलर विषय चयन का अंतिम अवसर प्रदान किया है। जिन विद्यार्थियों ने किसी कारणवश अब तक अपने कोकरिकुलर विषय का चयन नहीं किया है या जिन्हें कार्यालय स्तर से कोई विषय आवंटित नहीं हो सका है, वे निर्धारित समय-सीमा में विषय का चुनाव कर सकते हैं। छात्र-छात्राओं को 25 सितंबर तक विश्वविद्यालय द्वारा जारी गूगल फार्म के माध्यम से अनिवार्य रूप से अपने विषय का चयन पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

AMAR UJALA

लविवि : फॉर्म भरने के लिए 16 तक मौका

लखनऊ। लविवि और संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर-2026 की नियमित, बैकपेपर और इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं के ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 अक्तूबर निर्धारित की गई है। विवि की वेबसाइट lkouniv.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसके अलावा स्नातक, परास्नातक व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के नियमित तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 अक्तूबर निर्धारित की गई है। विवि ने संबद्ध महाविद्यालयों को निर्देश दिया है कि विद्यार्थियों के भरे परीक्षा फॉर्म और निर्धारित परीक्षा शुल्क की सूची 19 अक्तूबर तक परीक्षा विभाग में अनिवार्य रूप से जमा कराएं। (माई सिटी रिपोर्टर)

AMRIT VICHAR

नई तकनीक | लविवि में विकसित 'छेड़छाड़-रोधी, सुरक्षित, अपरिवर्तनीय एवं एआई-संवर्धित डिजिटल वसीयत प्रणाली' को मिला पेटेंट

आवाज और बायोमेट्रिक हस्ताक्षर से दर्ज करा सकेंगे वसीयत

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: लविवि में विकसित 'छेड़छाड़-रोधी, सुरक्षित, अपरिवर्तनीय एवं एआई-संवर्धित डिजिटल वसीयत प्रणाली' को आधिकारिक भारतीय पेटेंट मिल गया है। इस प्रणाली में कागजी वसीयतों में जालसाजी, अनधिकृत बदलाव, बुजुर्गों पर अनुचित दबाव और अदालतों में लंबे समय तक चलने वाले संपत्ति विवादों का स्थायी तकनीकी समाधान दिया गया है।

इस प्रणाली में वसीयतकर्ता सुरक्षित वेब या मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से लिखित दस्तावेज के अलावा आवाज, वीडियो और बायोमेट्रिक हस्ताक्षर के रूप में अपनी वसीयत दर्ज कर सकता है। आधुनिक प्रणाली को लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के प्रोफेसर डॉ. राकेश कुमार सिंह, शोधार्थी वरालिका निगम और उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सारांश चतुर्वेदी ने विकसित किया है। इस तकनीक को पेटेंट मिलने से लविवि ने नवाचार और विधिक शोध के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है।

इस प्रणाली के सिस्टम में प्रयुक्त एआई वेरिफिकेशन इंजन भाषा की अस्पष्टता, अंतर्विरोध और कानूनी नियमों के अनुपालन की जांच करता है। साथ ही चेहरे के भाव, आवाज और टाइपिंग की गति के विश्लेषण से यह पता लगाता है कि वसीयतकर्ता बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से निर्णय ले रहा है या नहीं।

पारंपरिक वसीयत की समस्याओं का स्थायी समाधान

- वर्तमान में वसीयत कागजों पर तैयार की जाती है। चूंकि वसीयत विधिक रूप से वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती है, निष्पादन के समय वसीयतकर्ता अपनी वास्तविक मंशा स्पष्ट करने के लिए उपस्थित नहीं होता। कागजी वसीयतों के खोने, नष्ट होने, जालसाजी, अनधिकृत बदलाव या बुजुर्गों पर अनुचित दबाव बनाकर संपत्ति हड़पने के मामले अदालतों में वर्षों तक खिंचते हैं। यह प्रणाली वसीयत लिखने, उसके सुरक्षित भंडारण से लेकर मृत्यु उपरांत स्वचालित निष्पादन तक की पूरी प्रक्रिया को अभेद्य बनाती है।

दस्तावेज को ब्लॉकचेन तकनीक से सुरक्षित किया जाता है, जिससे इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव या छेड़छाड़ असंभव हो जाती है। मृत्यु के आधिकारिक रिकॉर्ड की शत-प्रतिशत पुष्टि के बाद ही यह सिस्टम वसीयत को डिक्रिप्ट कर वैध वारिसों तक पहुंचाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन व शिक्षकों ने इस उपलब्धि पर टीम को बधाई दी है।

HINDUSTAN

एलयू में छात्र 16 अक्तूबर तक भर सकेंगे फॉर्म

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने विषम सेमेस्टर-2026 की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। 16 अक्तूबर तक फॉर्म भर सकेंगे। कार्यालय ज्ञापन के अनुसार स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी निर्धारित समय सीमा में परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। नियमित विद्यार्थियों के साथ बैकपेपर, इम्प्रूवमेंट और एक्सेम्प्टेड विद्यार्थियों के लिए भी ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की व्यवस्था की गई है।

25 सितंबर तक को-करिकुलर विषय चयन का मौका

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय ने बीएससी प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए को-करिकुलर विषय चयन की प्रक्रिया शुरू की है। जिन विद्यार्थियों का अब तक विषय तय नहीं हो पाया है, वे 25 सितंबर 2026 तक गूगल फॉर्म के जरिए अपनी पसंद का विषय चुन सकेंगे। सूचना के अनुसार, विद्यार्थियों को निर्धारित समयसीमा में ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए एलयू की वेबसाइट देख सकते हैं।

HINDUSTAN

एलयू में खेल ट्रायल की तिथियां घोषित

चयन

रोलर स्केटिंग में सीएमएस की वेदांशी ने जीते स्वर्ण

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। एलयू एथलेटिक एसोसिएशन ने नॉर्थ जोन और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स 2026-27 के लिए विश्वविद्यालय की पुरुष एवं महिला टीमों के चयन ट्रायल की तिथियां घोषित कर दी हैं। अलग-अलग सूचनाओं में शतरंज, कबड्डी और क्रॉस कंट्री रेस के चयन ट्रायल का कार्यक्रम जारी किया गया है।

शतरंज का चयन ट्रायल 30 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे एलयू एथलेटिक एसोसिएशन में आयोजित किया जाएगा। 29 सितंबर को शाम 5 बजे तक पंजीकरण कराना होगा। वहीं कबड्डी का चयन ट्रायल 10 अक्टूबर 2026 को सुबह 9 बजे प्राणजीव पवेलियन ग्राउंड एलयू में होगा। कबड्डी के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर शाम 5 बजे निर्धारित की गई है। इसी प्रकार क्रॉस कंट्री रेस का चयन ट्रायल 16 अक्टूबर 2026 को सुबह 4:30 बजे लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा।

रोलर स्केटिंग में सीएमएस की वेदांशी ने जीते स्वर्ण

लखनऊ। सिटी मोन्टेसरी स्कूल, गोमती नगर प्रथम कैंपस की कक्षा छह की छात्रा वेदांशी सिंह ने अन्तर-विद्यालयी रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में दो स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। वेदांशी ने ये स्वर्ण पदक रोड थ्री इनलाइन (2000 मीटर) एवं रिंक इनलाइन (1000 मीटर) स्पर्धाओं में अर्जित कर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। यह जानकारी सीएमएस के हेड कम्युनिकेशन्स ऋषि खन्ना ने दी। सीएमएस, संस्थापिका निदेशिका डॉ. भारती गांधी ने खिलाड़ी के उज्जवल भविष्य की कामना की।

HINDUSTAN

मेस निरीक्षण के लिए 10 सदस्यीय समिति

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में संचालित मेसों की व्यवस्थाओं की निगरानी और सुधार के लिए 10 सदस्यीय समिति गठित की है। कुलपति के आदेशानुपालन में कुलसचिव डॉ.भावना मिश्रा की ओर से इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया गया है।

समिति में प्रो.महेंद्र अग्निहोत्री, प्रो.दुर्गेश श्रीवास्तव, प्रो.राघवेन्द्र प्रताप सिंह, प्रो.अनूप कुमार सिंह, प्रो.अल्का पाण्डेय, प्रो.मनोज शर्मा, प्रो.हिमांशु सेन, प्रो.भुवनेश्वरी भारद्वाज, प्रो.श्रुति और डॉ.इशदीप कौर भंडारी को शामिल किया गया है।

TIMES OF INDIA

LU team develops AI app that 'saves wills from manipulation'

Lucknow: Writing a will could soon become safer and harder to manipulate, as a Lucknow University law faculty team has developed a mobile application that uses artificial intelligence (AI) to protect wills from tampering and help establish whether they were made voluntarily.

The system, developed by law faculty professor Rakesh Kumar Singh, research scholar Varalika Nigam and advocate Saransh Chaturvedi along with IT-sector experts, has received an Indian patent.

"The application can verify the authenticity of a will created through it. For example, it records the user's facial expressions and keypad usage, along with other indicators that help determine whether the will was made under pressure or of the person's own free will," said Prof Rakesh.

He said the system can analyse a person's face, voice and fingerprint, as well as behavioural patterns such as typing speed and mouse movements.

These checks are designed to identify unusual behaviour and flag the possibility that the person may be under pressure or that someone else is operating the system.

"The will can be created in different formats, including written text, voice and video," he said, adding, "The system's artificial intelligence can also examine the language of the will for unclear statements, contradictions and missing information, and compare it with relevant legal requirements." TNN